जलवायु परविर्तन से नपिटने के लयि उपाय और नीतयिाँ

संदर्भ

"खुदा का शुक्र है कि इंसान उड़ नहीं सकते, और आसमान और धरती दोनों को ही बर्वाद नहीं कर सकते।"~ हेनरी डेवडि थॉरो यदि इस वाक्य के संदर्भ में वचिार कयिा जाए तो यह बताना नरिर्थक होगा कि जलवायु परविर्तन का संकट मानव के जीवन को कसि हद तक नुकसान पहुँचा सकता है. यही कारण है कि जलवायु परविर्तन के संदर्भ में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जोर-शोर से कार्य कयिा जा रहा है। इस वषिय में बहुत सी योजनाएँ, नीतयिाँ एवं सम्मेलनों का भी आयोजन कयिा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को जलवायु परविर्तन के होने वाले गंभीर परणािमों से सुरक्षति रखा जा सके. इस वषिय पर इस लेख में संक्षप्ति में चर्चा की गई है।

प्रमुख बदिु

- वत्तिीयन के जरयि जलवायु परविर्तन संकटों का प्रबंधन करना आज उतना ही आवश्यक एवं महतत्वपूर्ण हो गया है, जतिने कि अन्य उपाय हैं। जलवायु वत्तिीयन (Climate Finance) स्थानीय, राष्ट्रीय और पार-राष्ट्रीय वत्तिीयन (Transnational Finance) को दर्शाता है।
- यह लोक, नजिी और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त कयिा जा सकता है। व्यापक स्तर पर नविशों के ज़रयि ही उत्सर्जन में कटौती हेतु वभिन्नि योजनाएँ व कार्यक्रम संचालति कयि जा सकते हैं।
- वर्तमान मानवाधकिार संरक्षण उन्मुखी वशि्व में जलवायु वत्तिीयन इन्हीं संदर्भों में एक वैध मांग के रूप में उभर रहा है।
- आर्थकि सहयोग एवं वकिास संगठन (OECD) की परषिद द्वारा वकिसति धारणा 'प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करे' (Polluter Pays Principle) ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जलवायु वत्तिीयन की आवश्यकता को रेखांकति कयिा था।
- इस सद्धिांत के जरयि अपेक्षा की गई कि प्रदूषण नयिंत्रण उपायों को अबाध रूप से चलाने के लयि प्रदूषणकर्त्ता जम्मिेदारी लें।
- भारत द्वारा 2005 के स्तर पर वर्ष 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product - GDP) की उत्सर्जन की तीव्रता को 20-25 प्रतशित तक कम करने के लयि स्वैच्छकि लक्ष्य की घोषणा की गई है।
- वर्ष 2016 में यूएनएफसीसीसी (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत द्ववार्षकि अद्यतन रपिोर्ट (Biennial Update Report) के अनुसार, भारत ने 2005 और 2010 के बीच उत्सर्जन की तीव्रता में 12% की कमी हासलि की है।

//

यूएनएफसीसीसी

- यूएनएफसीसीसी कटौती (Mitigation) को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के प्रयास के रूप में परिभाषित करता है।
- नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन व उपयोग पर बल, पुराने उपकरणों को अधिक ऊर्जा कार्यकुशल (Energy Efficient) बनाना, प्रबंधन कार्यप्रणाली व उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव कटौती उपायों (Mitigation Efforts) की उपादेयता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं।
- यूएनएफसीसी के अंतर्गत वर्तमान में जो वित्तीय तंत्र कार्यशील हैं, उनके बारे में संक्षिप्त विवरण यहाँ अपेक्षित है-

ग्लोबल एन्वायरमेंट फेसलिटी (GEF)

- इसका गठन वर्ष 1991 में किया गया था।
- यह विकासशील व संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि अवमूल्यन, ओजोन क्षरण, पर्सिसिटेन्ट आर्गेनिक प्रदूषकों के संदर्भ में परियोजनाएँ चलाने के लिये वित्तपोषित करता है।
- इससे प्राप्त धन अनुदान व रियायती फंडिंग के रूप में आता है।
- यह फेसलिटी यू.एन. अभिसमय के तहत् दो अन्य कोषों- लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड (LDCF) और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड (SCCF) को प्रशासित करता है।

अल्पविकसित देश कोष (LDCF)

- इस कोष का गठन अल्पविकसित देशों को 'नेशनल एडैप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन' (NAPAs) के निर्माण व क्रियान्वयन में सहायता करने के लिये किया गया था।
- एनएपीए के ज़रिये अल्पविकसित राष्ट्रों के एडैप्टेशन एक्शन की वरीयता की पहचान की जाती है।
- इस कोष के तहत अल्पविकसित देशों को कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु सूचना सेवाएं, जल संसाधन प्रबंधन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि निज़रिये से मूल्यांकित किया जाता है।

विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)

- इस कोष का गठन यूएनएफसीसीसी के तहत् वर्ष 2001 में किया गया था। इसे एडैप्टेशन, तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन एवं आर्थिक विविधीकरण से संबंधित परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये गठित किया गया था।
- यह जीवाश्म ईंधन से प्राप्त आय पर अत्यधिक निर्भर देशों में आर्थिक विविधीकरण (Economic Diversification) व जलवायु परिवर्तन राहत हेतु अनुदान देता है।

एडैप्टेशन फंड

- इस कोष का गठन भी वर्ष 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के साझेदार विकासशील देशों में ठोस एडैप्टेशन परियोजनाओं व कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना था।
- ऐसे राष्ट्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं।
- इस कोष को राशि क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज़्म (CDM) से प्राप्त होती है। एक सीडीएम प्रोजेक्ट गतिविधि के लिये जारी 'सर्टीफाइड एमीशन रिडक्शन (CERs) का 2 प्रतिशत इस कोष में जाता है।

हरित जलवायु कोष (GCF)

- यह यूएनएफसीसीसी के तहत् एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है।
- वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया था जिसे 2011 में डरबन में हुए सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।
- यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये सहायता राशि उपलब्ध कराता है।
- कोपेनहेगेन व कॉनकून समझौते में विकसित देश इस बात पर सहमत हुए थे कि वर्ष 2020 तक लोक व निजी वित्त के रूप में हरित जलवायु कोष के तहत् विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराया जाएगा।
- वहीं 19वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (वारसा में) में 2016 तक 70 बिलियन डॉलर देने का लक्ष्य तय किया गया जिसे विकासशील राष्ट्रों ने अस्वीकार किया था।
- उल्लेखनीय है कि नवंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 16वें सत्र (Cop-16) में स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के गठन का निर्णय किया गया था ताकि विकासशील देशों की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।

दृष्टि The Vision

पेरसि समझौता

- पेरसि जलवायु समझौते में यह लक्ष्य तय कयिा गया था कि इस शताब्दी के अंत तक वैश्वकि तापमान को 2^0C के नीचे रखने की हरसंभव कोशशि की जाएगी।
- इसका कारण यह बताया गया था कि वैश्वकि तापमान 2^0C से अधकि होने पर समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, मौसम में बदलाव देखने को मलिेगा और जल व भोजन का अभाव भी हो सकता है।
- इसके अंतर्गत उत्सर्जन में 2^0C की कमी लाने का लक्ष्य तय करके जल्द ही इसे प्राप्त करने की प्रतबिद्धता तो ज़ाहरि की गई थी परन्तु इसका मार्ग तय नहीं कयिा गया था।
- इसका तात्पर्य यह है देश इस बात से अवगत ही नहीं हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दशिा में उन्हें क्या करना होगा।
- दरअसल, सभी देशों में कार्बन उत्सर्जन स्तर अलग-अलग होता है, अतः सभी को अपने देश में होने वाले उत्सर्जन के आधार पर ही उसमें कटौती करनी होगी।

एनडीसी के लक्ष्यों को हासलि करना

- पेरसि समझौते के तहत भारत द्वारा 2021-2030 के लयि आठ (8) लक्ष्यों की एनडीसी (Nationally Determined Contribution -NDC) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जसिके अंतर्गत 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35 प्रतशित की कमी करने, प्रौद्योगकिी हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund - GCF) से कम लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय वत्ति व्यवस्था की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuel) आधारति ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतशित संचयी बजिली उत्पादन क्षमता हासलि करना है।
- 2030 तक अतरिक्ति वन और वृक्ष कवरेज़ के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन -डाइआक्साइड के बराबर का अतरिक्ति कार्बन सिंक बनाना।
- इसके अन्य लक्ष्य टकिाऊ जीवनशैली से संबंधति हैं। इनमें जलवायु अनुकूल वकिास पथ, जलवायु परविर्तन अनुकूलन, जलवायु परविर्तन वत्ति और क्षमता नर्िमाण तथा प्रौद्योगकिी जैसे पक्षों को शामलि कयिा गया है।

एन.डी.सी. क्या है?

- एन.डी.सी. राष्ट्रीय स्तर पर नर्धारति योगदानों (Nationally Determined Contributions -NDCs) का बनिा शर्त क्रयािन्वयन और तुलनात्मक कार्यवाही के परणािमस्वरूप पूर्व औद्योगकि स्तरों के सापेक्ष वर्ष 2100 तक तापमान में लगभग 3.2^0C की वृद्धि होगी, जबकि यदि राष्ट्रीय स्तर पर नर्धारति योगदानों का सशर्त कार्यान्वयन कयिा जाएगा तो इसमें कम-से-कम 0.2% की कमी आएगी।
- जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादन का ग्रीनहाउस गैसों में 70% योगदान होता है। रपिोर्ट में 2030 के लक्षति उत्सर्जन स्तर और 2^0C और 1.5^0C के लक्ष्य को प्राप्त करने के लयि अपनाए जाने वाले मार्गों के बीच वसि्तृत अंतराल है।
- वर्ष 2030 के लयि सशर्त और शर्त रहति एनडीसी के पूर्ण क्रयािन्वयन हेतु तापमान में 2^0C की बढ़ोतरी 11 से 13.5 गीगाटन कार्बन-डाइऑक्साइड के समान है।

अन्य महत्त्वपूर्ण पहलें

- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लयि भारत सरकार द्वारा एनएपीसीसी (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) का क्रयािन्वयन कयिा जा रहा है.
- 30 जून, 2008 को जारी की गई जलवायु परविर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में जलवायु परविर्तन की चुनौतयिों से नपिटने और भारत के वकिास के पथ की पारसि्थतिकिीय वहनीयता में वृद्धि करने के लयि सौर ऊर्जा, संवर्धद्धति ऊर्जा दक्षता, वहनीय पर्यावास, जल, हमिालयी पार-प्रणाली को बनाए रखने, हरति भारत, वहनीय कृषि और जलवायु परविर्तन हेतु कार्यनीतकि ज्ञान के वशिष्टि क्षेत्रों में आठ राष्ट्रीय मशिनों की रूपरेखा तैयार की गई है।
- इसके अलावा, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएपीसीसी (State Action Plans on Climate Change -SAPCC)पर राज्य कार्य योजना तैयार की गई है जो एनएपीसीसी के उद्देश्यों के ही अनुरूप है।
- इसके अतरिक्ति भारत सरकार पर्यावरणीय दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लयि एक समर्पति राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund) भी लागू कर रही है।

नष्किर्ष

जलवायु वत्तिीयन पछिले 1 दशक से वकिसति व वकिासशील देशों के मध्य मतभेद का वषिय रहा है। एक तरफ जहाँ वकिसति देश पृथ्वी की धारणीय शक्ति की सीमा को नजरअंदाज कर प्राकृतकि संसाधनों को उपभोग, वलिास, संवृद्धि का माध्यम मानते हैं, वहीं कृषि प्रधान वकिासशील देशों में पृथ्वी व प्राकृतकि संसाधनों को जीवन-समर्थनकारी प्रणाली (Life-supporting System) के रूप में देखा जाता है। वकिसति देश वकिासशील देशों के लयि वत्तिीय दायत्वि का बोझ उठाने के प्रति अनच्छिुक रहे हैं। इस सम्मेलन में जलवायु वत्तिीयन के ववििध आयामों पर सकारात्मक कार्यवाही करने की मंशा व्यक्त की गई है, लेकनि वकिसति व वकिासशील देशों में एक सुस्पष्ट साझी समझ का वकिसति होना कसिी भी सफलता की प्राप्ति के लयि आवश्यक है। समस्या की पहचान, आकलन, बेहतर समन्वयन व प्रबंधन आदि से जुड़ी चुनौतयिों की नगिरानी आवश्यक है। वचिारणीय है कि वर्ष 2007 में जलवायु वत्तिीयन समीक्षा रपिोर्ट में यूएनएफसीसीसी के तत्त्वावधान में स्पष्ट कयिा गया था कि जलवायु परविर्तन की चुनौतयिों, अनुकूलन व कटौती उपायों के लयि आवश्यक धनराशि व नविेश 2030 तक वैश्वकि सकल उत्पाद के 0.3 से 0.5 प्रतशित के बराबर होगा जबकि वैश्वकि नविेश के 1.1 से 1.7 प्रतशित की आवश्यकता होगी। इस परप्रिेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जलवायु वत्तिीयन पर एक सद्भावपूर्ण पहल कयि जाने की अपेक्षा एक वैध मांग है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/measures-and-policies-for-tackling-climate-change